भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2933 का उत्तर

रेल कर्मियों का कौशल विकास

2933. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे कर्मियों के कौशल विकास और उच्च-गति वाली रेल गाड़ियों के संचालन, एआई आधारित रखरखाव और रसद प्रबंधन आदि उभरती प्रौद्योगिकियों में उन्हें पुनः कुशल बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे परियोजनाओं में संविदा कर्मियों द्वारा श्रम और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का क्षेत्रीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे आधुनिकीकरण को स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई की भागीदारी से जोड़ने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल के पास एक व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली है, जो रेल कर्मचारियों को अपने करियर के विभिन्न चरणों में कुशलता, पुनः कुशलता और कौशल उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है। इसे साकार बनाने के लिए, भारतीय रेल ने क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विस्तृत अवसंरचनाओं का

विकास किया है। किसी एक क्षेत्रीय रेल के अंतर्गत भी मंडलों अथवा कारखानों के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कवच जैसी अपनाई गई विभिन्न नवीनतम रेल प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने और प्रदान करने की इन-हाउस क्षमताओं को विकसित किया गया है। संबंधित कोटियों हेतु आरंभिक, पुनश्चर्या और पदोन्नति चरणों में जोड़े गए विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूलों को तैयार किया गया है जिनमें समग्र संरक्षा और यात्री अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिया गया है, जिससे उन्हें संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकीय उन्नति और कार्यप्रणाली में परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर सभी प्रशिक्षण मॉड्यूलों की समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है।

आपातकालीन प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की तैयारियों में संवर्धन करने, निर्णय क्षमताओं में सुधार लाने, और सतत अधिगम एवं निष्पादन में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण जैसी उन्नत और आधुनिक प्रशिक्षण पद्तियों को अपनाया गया है।

भारतीय रेल ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आधुनिक ई-लर्निंग तकनीकों को अपनाया है, जिससे रेल कर्मियों सहित सरकारी अधिकारियों की सतत क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक विस्तृत श्रृंखला का ऑनलाइन अधिगम मॉड्यूल मुहैया कराया गया है। इन मॉड्यूलों में कवच प्रणाली, हाई-स्पीड रेल, कृत्रिम मेधा संबंधी ऐपलिकेशनों, संभार तंत्र प्रबंधन और रेल परिचालन के लिए महत्वपूर्ण कई अन्य क्षेत्रों जैसे विकासशील और विशिष्ट कार्यक्षेत्रों संबधी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर, मांग के अनुसार सुगम अभिगम मुहैया कराया जाता है, जिससे अधिगम संबंधी कार्यप्रणाली

को सुदृढ़ बनाया जा सकता है और डिजिटल कुशलता को बढ़ाया जा सकता है तथा पूरे संगठन में निरंतर आधार पर व्यावसायिकता को विकसित करने की मान्यताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हाई स्पीड रेल प्रणालियों के अंतर्गत, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) सहित रेल कर्मियों को परिचालन, अनुरक्षण और संरक्षा के विभिन्न पहलुओं के विषय पर विदेश में प्रशिक्षण सहित विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

दैनिक रेल परिचालन के अंतर्गत कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के उपयोग को और अधिक एकीकृत करने के लिए, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान (इरिसेट), हैदराबाद ने एआई और एमएल विषयों पर लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डेक) के साथ सहयोग किया है।

पर्याप्त संरक्षोपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रेल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों को सामान्य ठेका शर्तों (जीसीसी) में निहित श्रम और सुरक्षा मानकों सहित विभिन्न प्रावधानों का पालन करना आवश्यक हो। इसमें श्रम मानकों के अनुपालन जैसे मजदूरी संदाय अधिनियम के प्रावधानों, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम के प्रावधान, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के प्रावधानों, खान अधिनियम के प्रावधानों आदि का पालन शामिल है। संविदाओं में स्थानीय या आयातित श्रमिकों के रोजगार से संबंधित सभी लागू कानूनों, उपनियमों संबंधी नियमों और विनियमों का पालन करना भी आवश्यक है और कार्यों हेतु सीधी भर्ती अथवा छोटे ठेकेदारों अथवा उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्वोपाय करने होते हैं।

भारतीय रेल द्वारा अपनी अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है, जिसमें नेटवर्क क्षमता विस्तार, नए चल स्टॉक और संरक्षा में सुधार लाना शामिल हैं, जिनके लिए कई बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्मियों को विशेषीकृत और विविध कौशल प्रदान करने हेतु, रेलवे के केंद्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) ने अपने निकटवर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ सहयोग किया है ताकि संगत दक्षता से संबंधित मौजूदा पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में रेलवे के कार्यक्षेत्र वाले अध्ययन मॉड्यूल शुरू किए जा सकें। सहयोग के कार्यक्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम विकसित करने में मार्गदर्शन, आईटीआई के संकाय सदस्यों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, संकाय सदस्यों का सहयोग, प्रयोगशाला सहयोग और छात्रों के लिए फील्ड दौरे आदि शामिल हैं, ताकि इस पहल की दृश्यता बढ़ाई जा सके और लाभार्थी छात्रों की नियोजनीयता में संवर्धन किया जा सके।

****